

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endorsement No. C/3425

Jabalpur, dated 22.8.2017.

The Notification of the Government of M.P. F.No. 17(E)83/03/21-B(1)/3168/017, Bhopal, dated 18.8.2017 as per the provisions of Section 153(1) of the Electricity Act, 2003 is forwarded to;

1. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information,
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. The District and Sessions Judge, Jhabua, Neemuch, Panna and Sehore for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Officers also,
5. The Deputy Registrar, Confidential and the Section Officer, Checker Section, High Court of M.P., Jabalpur for information,
6. The Registrar (I.T.) for appropriate action in connection with uploading the notification on the website of the High Court.

Vivek
22-8-2017
(Vivek Saxena)
O.S.D. (D.E.)



मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त, 2017

फा.क्रमांक 17(ई)83/03/21-ब(एक)/3168/017, विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई)83-2003-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्य प्रदेश राजपत्र, भाग-1, में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(1) अनुक्रमांक 53, 66, 67, 68, 86 एवं 87 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ, अर्थात्:-

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
53.	झाबुआ	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, झाबुआ	सिविल जिला झाबुआ, पेटलावद एवं थांदला के समस्त विद्युत क्षेत्र
66.	नीमच	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, नीमच	सिविल जिला नीमच का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 67 एवं 67-ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
67.	मनासा नीमच	अपर सेशन न्यायाधीश, मनासा	मनासा का विद्युत क्षेत्र
68.	पन्ना	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, पन्ना	सिविल जिला पन्ना का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 69 के विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर)
86.	सीहोर	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, सीहोर	सिविल जिला सीहोर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 87 एवं 88 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
87.	आष्टा सीहोर	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, आष्टा	आष्टा का विद्युत क्षेत्र।

(2) अनुक्रमांक 67 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अतः स्थापित की जाएँ, अर्थात्:-

67-ए.	जावद नीमच	अपर सेशन न्यायाधीश, जावद	जावद का विद्युत क्षेत्र।
-------	-----------	--------------------------	--------------------------

21 AUG 2017
REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR
O.S.D.(D.E.)

NOTIFICATION

F.No. 17(E)83/03/21-B(1)/3168/017, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this department's Notification F.No. 17(E)83-03-XXI-B(1) dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010, namely :-

AMENDMENT

In the said Notification, in the table,

(1) for serial numbers 53, 66, 67, 68, 86 and 87 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
53.	Jhabua	II nd Additional Sessions Judge, Jhabua	All electricity area of Civil District Jhabua, Petlawad and Thandla.
66.	Neemuch	I st Additional Sessions Judge, Neemuch	All electricity area of Civil District Neemuch (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 67 & 67-A).
67.	Manasa Neemuch	Additional Sessions Judge Manasa	Electricity area of Manasa
68.	Panna	I st Additional Sessions Judge, Panna	All electricity area of Civil District Panna (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 69).
86.	Sehore	II nd Additional Sessions Judge, Sehore	All electricity area of Civil District Sehore (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 87 & 88).
87.	Ashta Sehore	I st Additional Sessions Judge, Ashta	Electricity area of Ashta."

(2) after serial number 67 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

67-A.	Jawad Neemuch	Additional Sessions Judge, Jawad	Electricity area of Jawad .
-------	------------------	--	-----------------------------

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.

(ए. एम. सक्सेना)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्र. 17(ई)83/03/21-ब(एक)/3168/2017,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त, 2017

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्र. C/2979/III-6-4/03-IX, दिनांक 13.07.2017 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
3. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
4. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(आर.क.वाणी)
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग